

# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सी-ब्लॉक मार्केट, सैक्टर अल्फा-1, ग्रेटर नौएडा

जनपद- गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)

पत्रांक: स्वा०वि०/2016/301

दिनांक 15/11/2016

सेवा में,

N.S. G. ...

...

...

जनपद- गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)

NOTICE NO. 158

विषय:- मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में यदि किसी व्यक्ति/फर्म/औद्योगिक इकाई/शिक्षण संस्था/छात्रावास/अस्पताल/ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी आदि द्वारा ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलाया जाता है, जैसे- आग लगाना, गंदगी फैलाना आदि तो उसके विरुद्ध मा० ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में प्रशासनिक / दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसका दायित्व प्रदूषण फैलाने वाले का स्वयं का होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपनी फर्म/औद्योगिक इकाई/शिक्षण संस्था/छात्रावास/अस्पताल/ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी परिसर एवं उसके आस-पास यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये, जिससे दिल्ली/NCR में हो रहे अत्यधिक प्रदूषण को रोका जा सके अन्यथा प्राधिकरण द्वारा आपके विरुद्ध मा० ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में प्रशासनिक/दण्डात्मक अथवा दोनों प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।

आनन्द मोहन सिंह

प्र० वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य)

प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (के) महोदय को सूचनार्थ।
2. उप महाप्रबन्धक (नियो०) को सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (स्वास्थ्य) को अवलोकनार्थ।

प्र० वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य)